

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2025/03

मुकदमा नम्बर 09/2025

दायर दिनांक-13.01.2025

1. नोपा पुत्र मंगला जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
2. रामनाथ पुत्र मंगला जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
3. मोती सिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

..... वादी

बनाम

1. बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा ढिगाल, तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू
2. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुझुनू

..... प्रतिवादी

दावा – विभाजन

प्रतिनिधत्व:-

वकील वादी- श्री प्रदीप झाझडिया, श्री किशोर जांगिड

प्रतिवादी सं. 1- एक पक्षीय

प्रतिवादी सं. 2- पैरो. राज.

:-निर्णय:-

निर्णय दिनांक 16.07.2025

वाद वादी दिनांक 25/03/2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिफ्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत् आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2025/8457 दिनांक 17/06/2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ए मयु नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

  
उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़  
जिला- झुझुनू  
नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
श्री जय सिंह ( आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2025/03

मुकदमा नम्बर 09/2025

दायर दिनांक-13.01.2025

1. नोपा पुत्र मंगला जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ जिला झुझुनू
2. रामनाथ पुत्र मंगला जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ जिला झुझुनू
3. मोती सिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम ढिगाल तहसील नवलगढ जिला झुझुनू

..... वादी

बनाम

1. बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा ढिगाल, तहसील नवलगढ, जिला झुझुनू
2. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ, जिला झुझुनू

..... प्रतिवादी

दावा – विभाजनडिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह ( आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 25/03/2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत् आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2025/8457 दिनांक 17/06/2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ए मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जन.....-..... मुबलिग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....  
-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....-.....का अदा करे।  
बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 16 माह 07 सन् 2025 को जारी की गई।

| मुद्दई               | रूपया पैसे | मुद्दासलह            | रूपये पैसे |
|----------------------|------------|----------------------|------------|
| स्टाम्प अर्जी दावा   | 2.00       | स्टाम्प अर्जी दावा   | 0.00       |
| वकालतनामा स्टाम्प    | 1.00       | स्टाम्प वकालतनामा    | 0.00       |
| स्टाम्प वजह सबूत     | —          | स्टाम्प अर्जी        | —          |
| महनताना वकील         | —          | महनताना वकील         | —          |
| खर्चा गवाहान         | —          | खर्चा गवाहान         | —          |
| फीस कमिश्नर          | —          | फीस कमिश्नर          | —          |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | —          | बाबत इजराय हुक्मनामा | —          |

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़